न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	रजि0न0	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/86/2021	2021/218	07.12.2021	09.04.2024

1. राजेन्द्र कुमार पुत्र बाबूलाल दत्तक पुत्र दीन दयाल निवासी बाढ ढिगावडा, तहसील राजगढ, जिला अलवर।
2. बाबूलाल पुत्र मंगलराम जाति ब्राह्मण, निवासी ग्राम बाढ ढिगावडा, तहसील राजगढ, जिला अलवर।
3. रामनारायण पुत्र मंगलराम जाति ब्राह्मण, निवासी ग्राम बाढ ढिगावडा, तहसील राजगढ, जिला अलवर।
4. रामगोपाल पुत्र मंगलराम जाति ब्राह्मण, निवासी ग्राम बाढ ढिगावडा, तहसील राजगढ, जिला अलवर

अपीलाण्ट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये पटवारी हल्का ढिगावडा, तहसील राजगढ, जिला अलवर।

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध धारा 75 भू राजस्व अधिनियम विरूद्ध आदेश दिनांक 24.08.2021 तहसीलदार राजगढ।

उपस्थितः—

01. श्री उमाशंकर खण्डेलवाल —वकील अपीलाण्ट्स

—:: निर्णय ::—

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार राजगढ के निर्णय दिनांक 24.08.2021 जिसके ग्राम बाढ ढिगावडा की आराजी खसरा न0 178, 179 किस्म चारागाह भूमि से अतिक्रमण हटवाने व बेदखली की कार्यवाही कायम किये जाने से व्यथित होकर पेश की है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया, साथ ही अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। विद्वान वकील अपीलान्ट्स श्री उमाशंकर खण्डेलवाल ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि अदालत तहसीलदार राजगढ ने माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय सुरेश चंदबांम राज0 सरकार के पारित आदेश दिनांक 17.05.2019 की अनुपालना में ग्राम बाढ ढिगावडा तहसील राजगए में स्थित खसरा नं0 178, 179 में अतिक्रमण हटवाये जाने की प्रक्रिया के दौरान अपीलांट्स द्वारा सनद पट्टा की प्रतिलिपियां प्रस्तुत की। इन पट्टों की बाबत् जानकारी की जाकर बचाव पक्ष में रिकार्ड पेश करने हेतु समुचित अवसर देने हेतु नोटिस जारी किये। अप्रार्थीगण अपीलांट्स की ओर से वकालतनामा प्रस्तुत हुआ। दीनदयाल की

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

मृत्यु होने पर उनके वारिसान को विधिवत सुनवाई हेतु रिकार्ड पर लिया गया। पटवारी हल्का से बयान लिये गये। अधीनस्थ अदालत ने निर्णय पारित कर आराजी खसरा न0 178, 179 ग्राम बाढ ढिगावडा न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 26.09.2019 की पालना में बेदखली की कार्यवाही की जावे निर्माण पक्के होने से अनुमति श्रीमान जिलाधीश महोदय अलवर को निवेदन किया जावे एंव सक्षम न्यायालयों से स्थगन प्रभावी नहीं होने के तथ्य की पुष्टि कर बेदखली करने हेतु आई एल आर एवं पटवारी हल्का को लिखा जावे जिस निर्णय के विरूद्ध अपील श्रीमान अदालत के समक्ष पेश की जा रही है। अपीलान्ट्स को निर्णय दिनांक 24.08.2021 की वक्त निर्णय कोई जानकारी नहीं थी। अदालत द्वारा 06.08.2021 को पत्रावली में दिनांक 23.08.2021 वास्ते बयान पटवारी हल्का ढिगावडा नियत की गई थी उस दिन अपीलांट नं0 1 के अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुये परंतु उस दिन पत्रावली कार्यालय से अदालत में नहीं आने से मौखिक रूप से यह कहा गया कि पत्रावली तलाशकी जाकर पुनः नोटिस/सूचित कर दिया जावेगा। जिस वजह से अपीलांटस को इस अपीलाधीन आदेश की जानकारी नही हो सकी और अधीनस्थ न्यायालय ने बिना सूचित किये मनमाने तोर पर दिनांक 24.08.2021 को निर्णय पारित कर दिया गया। उक्त निर्णय की जानकारी पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 09.11.2021 को निर्माण तोडने की कहकर दी गई, जानकारी होने पर अपीलान्ट द्वारा दिनांक 10.11.2021 को नकल प्राप्त की एवं बिना किसी देरी के अपील पेश की जा रही है विलम्ब को क्षम्य करने हेतु दफा 05 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र अलग से पेश किया जा रहा है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 24.08.2021 की सत्य प्रति न्यायालय हाजा को पेश की जा रही है। अधीनस्थ न्यायालय ने माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 17.05.2019 का हवाला दिया है जिस निर्णय के तहत अपीलांट के विरूद्ध कोई कार्यवाही किये जाने का विवरण नही है खसरा न0 178, 179 वाके ग्राम ढिगावडा तहसील राजगढ की बाबत रिट याचिका थी जो अधीनस्थ न्यायालय ने खसरा न0 178, 179 वाके ग्राम ढिगावडा गलत रूप से पढा है। अधीनस्थ न्यायालय ने दीनदयाल के वारिसान को रिकॉर्ड पर लिया है जिन वारिसान में से गजानन्द पुत्र मंगल राम विगत 33 साल से लापता है जिसकी कानूनी मृत्यु घोषित किये जाने का वाद अदालत सिविल न्यायाधीश राजगढ के यहां लम्बित है जिससे स्पष्ट है कि गजानन्द की कोई सूचना अधीनस्थ न्यायालय ने नही कराई और न जो संभव है जिसके खिलाफ गलत रूप से गैर कानूनी तरीके से निर्णय पारित किया है। मृतक दीनदयाल के राजेन्द्र कुमार के अलावा अन्य किसी वारिस की कोई इतिला/नोटिस/सूचना पत्र जारी नहीं किया जिससे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का घोर उल्लंघन हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 26.09.2019 की पालना में निर्णय पारित किया है जबकि इस निर्णय के विरूद्ध अपील अदालत श्रीमान में पेन्डिंग है तथा स्थगन आदेश जारी है। अधीनस्थ न्यायालय ने पूर्व में अपीलान्ट के हक में जारी पट्टा को शून्य माना है जबकि अधीनस्थ न्यायालय को पट्टा बाबत् सुनवाई को क्षेत्राधिकार नही है पट्टा सन 1989 में जारी हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय ने सडक के मध्य से 50 फुट दूरी पर निर्माण होने से शून्य माना है जबकि 89 में सडक के मध्य से 50 फुट दूरी पर निर्माण हुआ है जिससे सडक चौडी हुई है जिससे भी कोई अतिक्रमण होना साबित नहीं है। इस निर्णय बाबत अपीलान्ट की ओर से एक सिविल वाद अदालत सिविल न्यायाधीश राजगढ के यहां कर रखा है जो पेंडिंग है जिस वाइ में सरकार पक्षकार है तथा तहसीलदार राजगढ पैरवी करता है जिस वाइ में दोनो पक्षों को मूल वाद के निस्तारण तक यथास्थिति बनाये रखने का आदेश पारित किया हुआ है जो आदेश दिनांक 17.05.2017 का है जिससे भी अधीनस्थ न्यायालय को कोई कार्यवाही नही की जानी चाहिये थी। अपील अपीलान्ट के ओर से प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलांटस की अपील मंजूर फरमाई जाकर अधीनस्थ

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

न्यायालय का निर्णय दिनांक 24.08.2021 अपास्त किये जाने की कृपा करें। अन्य उचित आज्ञा जो न्याय संगत हो अता फरमाने की कृपा करें।

सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दफा 05 परिसीमा अधिनियम 1963 पर विचार किया। माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा भी विभिन्न दृष्टान्तों में मियाद के बिन्दु पर नरमी का रूख अपनाने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया हुआ है। अतः नरमी का रूख अपनाते हुए विलम्ब को माफ कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं पत्रावली में संलग्न समस्त दस्तावेजात एवं बहस वकील अपीलान्ट पर अवलोकन एवं चिन्तन–मनन किया। अपीलाधीन विवादित आराजी की किस्म चारागाह है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत प्रतिबंधित भूमि की श्रेणी में आती है। जिस पर खातेदारी अधिकार भी प्रोद्भूत नहीं होते हैं। स्पष्ट है कि अतिक्रमियों द्वारा सरकारी भूमि पर किया गया अतिक्रमण अवैध है। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार राजगढ द्वारा पूर्व में पारित निर्णय दिनांक 26.09.2019 की निरन्तरता में ही दिनांक 24.08.2021 को पुनः निर्णय पारित किया गया है। उक्त पारित निर्णय उचित है जिसमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है। निर्णय की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ अदालत को मूल रिकॉर्ड के साथ पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 09.04.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पी0 आर0 मीना)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज0)